MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 29th May, 2019

G.S.R. 162.—In the notification of even number published in the weekly Gazette of India dated 23rd April, 2019 issued by Ministry of finance (Department of Economic Affiars) relating to the Recruitment Rules, 2019 for the post of Assistant Library and Information Officer in the Department of Economic Affairs, the words 'Consultation with the Union Public Service Commission is necessary on each occasion' under Column 13 shall be read as 'Consultation with the Union Public Service Commission not necessary'.

[F. No. A-12011/5/2018-Admn. IA]

SANJEEV GUPTA, Under Secy.

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 28 मई, 2019

सा.का.नि. 163.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग पुस्तकालय और सूचना अधिकारी समूह 'क' पद पर भर्ती नियम, 2000 तथा संघ लोक सेवा आयोग पुस्तकालय और सूचना सहायक भर्ती नियम, 1993 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है संघ लोक सेवा आयोग के पुस्तकालय में समूह 'क', समूह 'ख' एवं समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग, पुस्तकालय समूह 'क', समूह 'ख' एवं समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2019 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **अनुप्रयोग.—** ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों में उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि .—** भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता.—** वह व्यक्ति .—

1. जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

2. जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी ।

6. **आरम्भिक गठन .—** इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के क्रम संख्या 2 में स्तंभ (1) में दर्शित पद के ऐसे पदधारी, जो इन नियमों के प्रवर्तन की तारीख से पूर्व नियमित आधार पर पद पर नियुक्त किए गए थे, इन नियमों के अधीन नियुक्त किए गए समझे जाएंगे और उनके द्वारा उक्त प्रवर्तन की तारीख से पूर्व उक्त पद पर की गई सेवा को ज्येष्ठता, प्रोन्नति और पेंशन के प्रयोजनो के लिये गणना में लिया जाएगा ।

7. **शिथिल करने की शक्ति.—** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

8. **व्यावृति .—** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. पुस्तकालय और सूचना अधिकारी	01* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 11 (67700-208700 रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली, रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
संयुक्त विधि : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा	**संयुक्त रीति :** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) और प्रोन्नति - केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या

भी है) और प्रोन्नति द्वारा।	विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या स्वशासी या कानूनी या अर्द्धसरकारी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी : **(क)** (i) जिन्होने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया है ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (रु. 44900-142400) में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात इस श्रेणी में सात वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं एवं अनुभव रखते हो अर्थात :- **(क) आवश्यक :** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री; और (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थान से पांच वर्ष का पुस्तकालय में व्यावसायिक अनुभव। **(ख) वांछनीय** : (i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के अधीन विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थान से पुस्तकालय में कम्प्यूटरीकृत पुस्तकालय क्रियाकलाप में एक वर्ष का अनुभव। (ii) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्पयूटर उपयोजन में डिप्लोमा। **टिप्पण 1 :** जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (रु. 44900-142400) में विभागीय सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी के रूप में सात वर्ष की नियमित सेवा की हो और मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक की डिग्री रखता हो और पुस्तकालय एवं पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में दो से तीन सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतपूर्वक पूरा किया हो, को भी बाहरी व्यक्ति के साथ विचार में लिया जाएगा और उस पद पर उसके चयन होने की दशा में उसे प्रोन्नति से भरा गया माना जाएगा। **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिनके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे - 1. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष 2. अपर सचिव (प्रशासनिक शाखा का भारसाधक हो) - सदस्य 3. अपर सचिव (पुस्तकालय का भारसाधक) संघ लोक सेवा आयोग –सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी	01* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-7 (44900-142400 रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) और प्रोन्नति द्वारा	**प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) और प्रोन्नति -** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या स्वायत या कानूनी या अर्द्धसरकारी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी - (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण किया हुआ है ; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (रु. 35400-112400) में नियमित आधार पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ब) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं एवं अनुभव रखते हो अर्थात :- (क) आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय ओर सूचना विज्ञान में स्नातक की डिग्री; और (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थान से पुस्तकालय में दो वर्ष का व्यवसयिक अनुभव । **(ख)** वांछनीय : (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री;

	(ii) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर उपयोजन में डिप्लोमा । **टिप्पण-1** : जिन्होने विभागीय पुस्तकालय और सूचना सहायक के रूप में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (रु. 35400-112400) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक की डिग्री रखता हो और पुस्तकालय पुस्तकालय एवं विज्ञान के क्षेत्र में दो से तीन सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा किया हो को भी बाहरी व्यक्तियों के साथ विचार में लिया जाएगा और यदि वह इस पद के लिए चयनित हो जाता है तो प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा । **टिप्पण-2** : प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण-3 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(12)	(13)
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. पुस्तकालय और सूचना सहायक	01* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर-6 (35400-112400 रु.)	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) ।	**प्रोन्नति :** जिसने विभागीय पुस्तकालय लिपिक के पद पर वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (रु. 19900-63200/-) में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा जो किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक हो और जिसने किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पुस्तकालय स्वचलन ओर नेटवर्किंग में दो सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा किया हो। **टिप्पणी :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यकतियों के संबंध में, अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति हेतु विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के नाम पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक या पात्र सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्र सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने से कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर चुके हैं, अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :

	केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या अर्द्धसरकारी या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वशासी या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी, - (क) (i) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 में या उसके समकक्ष (रु. 29200-92300) में नियमित आधार पर छह वर्ष की सेवा की हो, और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं एवं अनुभव रखते हो, अर्थात :- **(अ) आवश्यक :** (i) जो किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय ओर सूचना विज्ञान में स्नातक हो । (ii) जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थान से दो वर्ष का पुस्तकालय में व्यावसायिक अनुभव रखता हो । **(ब) वांछनीय** : मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर उपयोजन में डिप्लोमा **टिप्पण-1 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण-2 :** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा की अवधि भी है) , जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(12)	(13)
1. विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अपर सचिव (प्रशासनिक शाखा का भारसाधक), संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (प्रशासनिक शाखा का भारसाधक), संघ लोक सेवा आयोग – सदस्य 3. संयुक्त सचिव (पुस्तकालय का भारसाधक), संघ लोक सेवा आयोग – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

2. विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अपर सचिव (प्रशासनिक शाखा का भारसाधक), संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (प्रशासनिक शाखा का भारसाधक), संघ लोक सेवा आयोग – सदस्य 3. संयुक्त सचिव (पुस्तकालय का भारसाधक), संघ लोक सेवा आयोग – सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. पुस्तकालय लिपिक	02* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 2 (19900-63200 रु.)	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पण** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड,त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख, खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)	(8)	(9)
1. आवश्यक : (i) मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12 वीं या समकक्ष उत्तीर्ण; (ii) मान्यताप्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या उनके समकक्ष में प्रमाण पत्र ; और (iii) 35 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी में या 30 शब्द प्रति मिनट हिन्दी में कम्प्यूटर टाईपिंग में प्रवीण्ता **टिप्पण -1** : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।	नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों को और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है । **2. वांछनीय** (i) ख्यातिप्राप्त पुस्तकालय में एक वर्ष के कार्य का अनुभव; और (ii) पुस्तकालय में दिन प्रतिदिन के कार्य में कम्प्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान हो ।		

(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा । **टिप्पण** : पदधारी के प्रतिनियुक्त या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है में से प्रतिनियुक्त के आधार पर भरी जा सकेंगी ।	लागू नहीं होता

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. संयुक्त सचिव (प्रशासन), संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष 2. उप सचिव (सामान्य), संघ लोक सेवा आयोग – सदस्य 3. अवर सचिव (प्रशासन), संघ लोक सेवा आयोग – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नही है ।

स्पष्टीकारक ज्ञापन : यह प्रमाणित किया जाता है कि भर्ती नियमों के नियम 6 की शर्तों को भूतलक्षी प्रभाव दिये जाने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

[फा. सं. 39021/03/2015 - स्था. (बी)]

राजबीर सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 28th May, 2019

G.S.R. 163.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Union Public Service Commission Library and Information Officer Group 'A' Post Recruitment Rules, 2000 and the Union Public Service Commission Library and Information Assistant Recruitment Rules, 1993, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain Group 'A', Group 'B' and Group 'C' posts in the Library of the Union Public Service Commission, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Union Public Service Commission, Library Group 'A', Group 'B' and Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.- These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of post, classification and level in the pay matrix.— The number of the post, its classification, level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification.—No person,-

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Initial Constitution.—The incumbents of the post specified at serial number 2 in column (1) of the aforesaid Schedule who were appointed on regular basis to the said post before the date of commencement of these rules shall be deemed to have been appointed under these rules and their regular and continuous service in the said posts before the said commencement shall be taken into account for the purpose of seniority, promotion and pension.

7. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

8. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Library and Information Officer	01* (2019) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Level 11 (Rs. 67700-208700/-)	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Two years for promotees

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made
(10)	(11)
Composite Method: Deputation (including short term contract) Plus Promotion.	1. Composite Method: Deputation (including short term contract) Plus Promotion - Officers of the Central Government or State Government or Union territories or public sector undertakings or universities or recognised research institutions or autonomous or statutory or semi-Government organizations,-

	(a) (i) holding analogous posts on regular basis or equivalent; or (ii) with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 7 (Rs.44900-142400/-) of the pay matrix or equivalent; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- A. Essential: (i) Master's degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised university or institute; and (ii) five years' professional experience in a Library under Central Government or State Government or Union territory or autonomous or statutory organization or public sector undertakings or university or recognised research or educational institution. B. Desirable: (i) One year experience of computerising library activities in a Library under Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organization or public sector undertakings or university or recognised research or educational institution. (ii) Diploma in Computer Applications from a recognised university or institute. **Note 1**: The Departmental Assistant Library and Information Officer in level 7 (Rs.44900-142400/-) of the pay matrix with seven years of regular service and possessing Bachelor's Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised university or institute and having completed successful training of two to three weeks in the field of Library and Library Science shall also be considered along with outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion **Note 2**: Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) to another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisations or departments of the Central Government shall not exceed four years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Confirmation Committee in case of promotees (for considering confirmation) consisting of :- (1) Secretary, Union Public Service Commission —Chairman (2) Additional Secretary (In-charge of Administration Branch), Union Public Service Commission —Member (3) Additional Secretary (In-charge of Library), Union Public Service Commission —Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Assistant Library and Information Officer.	01* (2019) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial	Level 7 (Rs.44900-142400/-)	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
Deputation (including short term contract) plus Promotion.	**1. Composite Method:** **Deputation (including short term contract) Plus Promotion -** Officers of the Central Government or State Government or Union territories or public sector undertakings or universities or recognized research institutions or autonomous or statutory or semi-Government organizations,- (a) (i) holding analogous posts on regular basis or equivalent; or (ii) with five years' regular service in level 6 (Rs.35400-112400/-) of the pay matrix or equivalent; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- **A. Essential:** (i) Bachelors degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised university or institute; and (ii) two years' professional experience in a Library under Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organization or public sector undertakings or university or recognised research or educational institution. **B. Desirable:** (i) Master's degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised university or institute; (ii) Diploma in Computer Applications from a recognised university or institute. **Note 1:** The Departmental Library and Information Assistant in level 6 (Rs.35400-112400/-) of the pay matrix with five years of regular service and possessing Bachelor's Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised university or institute and completed successful training of two to three weeks in the field of Library and Library Science shall also be considered along with outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. **Note 2:** Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) to another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisations or departments of the Central Government shall not exceed three years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Library and Information Assistant	01* (2019) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B' non-Gazetted, non-Ministerial	Level 6 (Rs.35400-112400/-)	Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Two years for promotees.

(10)	(11)
By Promotion failing which by deputation (including short term conctract)	**1. Promotion:** Departmental Library Clerk in Level-2 (Rs.19900-63200/-) of the pay matrix with ten years of regular service in the grade possessing Bachelors Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised university or institute and having successfully completed two weeks training in Library Automation and Networking from a recognised university or institute. Note: where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **2. Deputation (including short term contract):** Officials of the Central Government or State Government or Union territories or semi Government or recognised research institutions or universities or public sector undertakings or autonomous or statutory organizations,- (A) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with six years of regular service in the grade in level-5 (Rs.29200-92300/-) of the pay matrix or equivalent; and (B) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- (a) Essential: (i) Bachelor's degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised university or institute. (ii) two years' professional experience in a Library under Central Government or State Government or autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or universities or recognised research or educational institution. (b) Desirable: Diploma in Computer Application from a recognised university or institute.

	Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be 'not exceeding fifty-six years' as on the last date of receipt of applications.

(12)	(13)
1. **Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of :-** (i) Additional Secretary (in charge of Administration Branch), Union Public Service Commission —Chairman (ii) Joint Secretary (in charge of Administration Branch), Union Public Service Commission —Member (iii) Joint Secretary (in charge of Library), Union Public Service Commission —Member 2. **Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of :-** (i) Additional Secretary (in charge of Administration Branch), Union Public Service Commission —Chairman (ii) Joint Secretary (in charge of Administration Branch), Union Public Service Commission —Member (iii) Joint Secretary (in charge of Library), Union Public Service Commission —Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. Library Clerk	2* (2019) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-2 (Rs.19900-63200/-)	Not applicable	18 to 25 years. (Relaxable for Government servants up to the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for the receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh,	1. Essential: (i) 12th class or equivalent qualification from a recognised Board ; (ii) Certificate in Library Science or equivalent from a recognised Institute; and (iii) proficiency in typing at the rate of 35 words per minute in English or at the rate of 30 words per minute in Hindi on computer. Note 1: The qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the

					Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Panghi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. **2. Desirable:** (i) One year experience of working in a Library of repute; and (ii) having working knowledge of computer application in the day to day functioning of Library.

(8)	(9)	(10)	(11)
No	Two years for direct recruits	By direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on depuation basis from officers of Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column 7.	Not applicable

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee consisting of: - (1) Joint Secretary (Administration), Union Public Service Commission - Chairman (2) Deputy Secretary (General), Union Public Service Commission - Member (3) Under Secretary (Administration), Union Public Service Commission - Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

Explanatory Memorandum.- It is certified that there shall be no adverse effect on any person while giving retrospective effect to the recruitment rules in terms of rule 6 of this rule.

[F.No. 39021/03/2015-Estt.(B)]

RAJBIR SINGH, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 मई, 2019

सा.का.नि. 164.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और,

(i) लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1981 को, जहां तक उनका संबंध प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला तकनीशियन (रक्त बैंक) और वरिष्ठ रक्त बैंक तकनीशियन के पद से है;

(ii) लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 1987 को, जहां तक उनका संबंध तकनीकी सहायक के पद से है; और